



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/सीओआरडी/आरईजीएन/2025-26/

दिनांक: 11.09.2025

सेवामें,
प्रधानाचार्य,
सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय
(सीबीएसई की वेबसाइट के माध्यम से)

यह छात्रों के डेटा को सही ढंग से प्रस्तुत करने की दिशा में पहला कदम है। सभी प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि कृपया इसे पढ़ें, समझें और आवश्यक कार्रवाई करें।

विषय: कक्षा IX/XI, 2025-26 के लिए उम्मीदवारों का पंजीकरण डेटा प्रस्तुत करना।

महोदया/महोदय,

कक्षा IX और XI में छात्रों का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सीबीएसई को आगामी वर्ष में इन छात्रों की कक्षा X और XII की परीक्षाओं के आयोजन के लिए अग्रिम योजना बनाने में मदद करती है। पंजीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू छात्रों के व्यक्तिगत विवरणों को माता-पिता को सूचित करना है ताकि संबंधित छात्र के व्यक्तिगत विवरणों में कोई गलती होने पर उन्हें तुरंत ठीक किया जा सके। इससे भविष्य की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। पंजीकरण प्रक्रिया अनुलग्नक-ए में दी गई अनुसूची के अनुसार शुरू होगी। उम्मीदवारों का पंजीकरण सीबीएसई की वेबसाइट <https://cbse.gov.in> पर दिए गए परीक्षा संगम लिंक के माध्यम से किया जाएगा।

सीबीएसई ने इस साल कुछ नए बदलाव किए हैं जिनमें शामिल हैं:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी-2020 के कार्यान्वयन के अनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के बारे में अधिसूचना सं. CBSE/CE/2-Board Examinations-X/2025 दिनांक 25.06.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। परीक्षा पैटर्न में यह महत्वपूर्ण बदलाव हितधारकों के सभी स्तरों पर व्यापक योजना, मजबूत समन्वय और निर्बाध निष्पादन की अपेक्षा करता है।

(ख) सीबीएसई ने भारत में स्थित स्कूलों के कक्षा IX और XI पंजीकरण डेटा दोनों के लिए उम्मीदवारों की एपीएएआर आईडी को लिंक करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में, सीबीएसई द्वारा जारी किए गए निर्देशों को अनुलग्नक-जे में संलग्न हैं, को अनुपालन के लिए देखें।

(ग) **वर्ष 2026-2027 की परीक्षाओं के लिए सही डेटा और विषयों को सुनिश्चित करने के लिए नया कदम**

डेटा सत्यापन पर्ची उत्पन्न करना

अंतिम तिथि के बाद, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए स्कूलों द्वारा एक डेटा सत्यापन पर्ची तैयार की जाएगी। यदि डेटा अर्थात् उम्मीदवार/माता/पिता/अभिभावक का नाम, जन्म तिथि या प्रस्तावित विषय स्कूल/उम्मीदवार द्वारा गलत पाया जाता है, सीबीएसई इसे 14.11.2025 (शुक्रवार) से 28.11.2025 (शुक्रवार) तक सही करने की अनुमति देगा। एक बार यह प्रक्रिया और अवधि समाप्त हो जाने के बाद, बोर्ड द्वारा किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों को डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी।

ये पंजीकरण परचियाँ छात्रों को भविष्य में एलओसी भरने के लिए सुरक्षित रखने के लिए स्कूल द्वारा प्रदान की जाएंगी।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

चूंकि समय सारिणी का पालन करते हुए पंजीकरण डेटा प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्कूलों से अनुरोध है कि वे उम्मीदवारों के डेटा को समय पर प्रस्तुत करने की योजना बनाएं। समय सारिणी का पालन करने के अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि भरा गया डेटा बिल्कुल सही हो। इस संबंध में, बोर्ड ने पहले ही स्कूलों को सही डेटा तैयार रखने के लिए सूचित कर दिया है ताकि पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत में, पंजीकरण के लिए सही डेटा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जा सके।

पंजीकरण पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण के लिए की जाने वाली कार्रवाई नीचे दी गई है :-

1. कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जिन्हें समझे बिना स्कूल सही ढंग से पंजीकरण नहीं कर पाएँगे। इसलिए, अनुरोध है कि प्रधानाचार्य उन व्यक्तियों/शिक्षकों के साथ एक बैठक आयोजित करें, जिन्हें पंजीकरण पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बैठक में, इस परिपत्र पर विस्तार से चर्चा की जाए और निर्देशों को भली-भांति समझने के बाद ही पंजीकरण का डेटा प्रस्तुत किया जाए।

कक्षा IX और कक्षा XI में छात्रों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है:-

- क. कक्षा IX/XI के पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों के बारे में विभिन्न विवरणों की आवश्यकता होती है, और इसे सही ढंग से समझे बिना, स्कूल छात्रों को सही ढंग से पंजीकृत नहीं कर पाएँगे। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि प्रधानाचार्य द्वारा निम्नलिखित के साथ एक बैठक बुलाई जाए: -
 - (i) कक्षा के शिक्षक अपने छात्रों का डेटा एकत्र करते हैं।
 - (ii) पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल कोई अन्य अधिकारी
 - (iii) सीबीएसई पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
 - (iv) पंजीकरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार मुख्य अधिकारी
 - (v) विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य अधिकारी
 - ख. निम्नलिखित जानकारी देने के लिए कक्षा IX और कक्षा XI के छात्रों के साथ एक संक्षिप्त बैठक भी बुलाई जा सकती है: -
 - (i) पंजीकरण के लिए सही डेटा प्रस्तुत करने का महत्व
 - (ii) पंजीकरण में सही विषय नाम प्रस्तुत करने का महत्व
 - (iii) पंजीकरण में सही डेटा और सही विषयों को प्रस्तुत करने में छात्रों और उनके माता-पिता की भूमिका और जिम्मेदारी।
 - (iv) पंजीकरण में डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के परिणाम।
 - ग. छात्रों का सही डेटा प्रस्तुत करने के महत्व, प्रस्तुत किए गए सही विषयों, की गई गलतियों के परिणामों और पंजीकरण में डेटा को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में माता-पिता की भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में एक सम्प्रेषण माता-पिता को भेजा जाना चाहिए।
2. केवल उन्हीं छात्रों को सत्र 2026-27 में कक्षा X और XII बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, जिनके नाम इस परिपत्र में बताए गए पंजीकरण डेटा को प्रस्तुत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

3. प्रधानाचार्यों/विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:-

- (क) प्रायोजित छात्र केवल उनके अपने नियमित और प्रामाणिक उम्मीदवार हैं।
- (ख) किसी भी वास्तविक छात्र का नाम अपंजीकृत नहीं छोड़ा गया है।
- (ग) छात्र किसी भी अनधिकृत/असंबद्ध विद्यालय से नहीं हैं।
- (घ) आपके विद्यालय में छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में भाग ले रहे हैं।
- (ङ) छात्र सीबीएसई के अलावा किसी अन्य स्कूल शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं।
- (च) छात्र कक्षा IX और XI में प्रवेश के लिए पात्र हैं और परीक्षा उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार बाद के वर्ष में कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होंगे।
- (छ) कक्षा-XI के छात्रों के मामले में, यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है कि:
 - (i) छात्रों ने अपनी कक्षा-X की परीक्षा के सभी विषयों/परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है और उन्हें संबंधित बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया है।
 - (ii) छात्रों ने अपनी कक्षा-X की परीक्षा केवल किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है।
 - (iii) दसवीं और बारहवीं कक्षा के बीच 2 साल का अंतराल है।

इसके अलावा बोर्ड के संबद्धता उपनियम-2018 के पैरा 14.2 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं: -

"प्रत्येक संबद्ध स्कूल के लिए बोर्ड के परीक्षा उपनियमों का यथोचित परिवर्तन सहित पालन करना अनिवार्य है।

- 14.2.1 प्रत्येक संबद्ध स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के कक्षा IX, X, XI और XII के संबंध में छात्रों की संख्या और उनके विवरण की एक सूची प्रस्तुत करेगा।
- 14.2.2 कोई भी संबद्ध स्कूल बोर्ड की परीक्षा में उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत नहीं करेगा जो इसके रोल में नहीं हैं।
- 14.2.3 कोई भी संबद्ध स्कूल बोर्ड की परीक्षा में उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत नहीं करेगा जो एक असंबद्ध स्कूल/शाखा में नामांकित हैं।
- 14.2.4 कोई भी संबद्ध स्कूल बोर्ड की परीक्षा में उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत नहीं करेगा जो इसके रोल पर हैं, लेकिन स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हुए हैं या बोर्ड की परीक्षा में उपस्थिति के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
- 14.2.5 प्रत्येक संबद्ध स्कूल बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में अपने वास्तविक और योग्य छात्रों को नियमित रूप से प्रायोजित करेगा, जबकि संबद्धता/उन्नयन नियमित रूप से बिना किसी विराम के प्रदान किया जाता है या उम्मीदवारों के गैर-प्रायोजित होने के बारे में समय पर लिखित रूप में उसके कारणों की सूचना दी जाती है। 1
- 4.2.6 बोर्ड से संबद्ध स्कूल किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को नहीं भेजेगा। यह उम्मीदवारों को केवल सीबीएसई की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए तैयार करेगा।

- 4. सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पंजीकरण प्रस्तुत करने, उम्मीदवारों का डेटा, कक्षाओं और शिक्षकों की उपलब्धता के लिए सीबीएसई के उपनियमों/नियमों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। एक सेक्शन में





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

40 छात्रों को अनुमति है, और सेक्शन शिक्षक का अनुपात 1:1.5 है। इसके अलावा, सेक्शनों की संख्या बोर्ड द्वारा अनुमत संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।

स्कूलों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे यथासंभव अपने भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कर सकें ताकि बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के खंड 4.8 के अनुसार एक खंड में 40 छात्रों तक एक खंड में इष्टतम नामांकन रखा जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूलों के सीखने के परिणाम प्रभावित न हों।

file : // C:/Users/acer/Downloads/SECTION% 20STRENGTH% 20NEW% 20CIRCULAR2025.pdf

सभी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों की संख्या के संबंध में संबद्धता शाखा द्वारा जारी दिनांक 21.07.2025 के उपरोक्त परिपत्र को सावधानीपूर्वक देखें और तदनुसार OASIS में डेटा भरें।

5. सभी संबद्ध स्कूलों को ऑनलाइन प्रस्तुति करने से पहले अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। स्कूलों को उपयोगकर्ता आईडी के रूप में 'संबद्धता संख्या' का उपयोग करना चाहिए, जो उनके लिए पहले से उपलब्ध है। पासवर्ड वही रहेगा जो OASIS में उपयोग किया जाता है।
6. बोर्ड "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" में परिभाषित दिव्यांग उम्मीदवारों को कई छूट/रियायतें दे रहा है। इस संदर्भ में, स्कूल परिपत्र संख्या CBSE/COORD/112233/2019 12 अप्रैल 2019 का उल्लेख कर सकते हैं और वेब-लैंक पर उपलब्ध है : <https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination Circular/2019/5 CIRCULAR.pdf>

CWSN छात्रों की श्रेणी को सावधानीपूर्वक चुना जाना चाहिए और पंजीकरण डेटा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाओं के आयोजन के दौरान इन छात्रों को लागू छूट प्रदान की जा सके।

पंजीकरण डेटा जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली की विशेषताएं

7. छात्रों का पंजीकरण शुरू करने से पहले, मौजूदा स्कूलों को OASIS और HPE पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा।
8. केवल उन्हीं टीजीटी/पीजीटी जो क्रमशः कक्षा IX-X/XI-XII में पढ़ा रहे हैं, को टीजीटी/पीजीटी के रूप में दिखाया जाना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए योग्य परीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। तदनुसार, OASIS में, स्कूलों द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। जिन शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया है, उनके नाम डेटा से हटा दिए जाएंगे। साथ ही, जिन शिक्षकों के नाम मौजूदा डेटा में शामिल नहीं हैं, उनके नाम शामिल किए जाएंगे।
9. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि OASIS में सभी शिक्षकों के पूरे नाम भरे जाएं। संक्षिप्त शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि संक्षिप्त शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों का गलत डेटा प्रदान किया गया है। नामों के आगे कोई भी संबोधन (जैसे श्री/श्रीमती आदि) नहीं लगाया जाएगा।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

10. सभी स्कूलों को सबसे पहले OASIS पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होगी। OASIS पर जानकारी बहुत सावधानीपूर्वक भरी जानी चाहिए, क्योंकि स्कूलों को बाद में छात्रों के घोषित सेक्शन/ संख्या को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. OASIS पर जानकारी बहुत सावधानीपूर्वक भरी जानी चाहिए, क्योंकि डेटा प्रस्तुत करने के बाद स्कूलों को छात्रों के घोषित सेक्शन/संख्या को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. परीक्षा उप-नियमों के नियम 6.1(a)(iii) के अनुसार, स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी छात्र, किसी कक्षा में प्रवेश लेते समय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और उस स्थान पर लागू आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, जहाँ स्कूल स्थित है।
13. स्कूलों से अनुरोध है कि वे उम्मीदवार, माता और पिता/अभिभावक के पूरे नाम भरें। संक्षिप्त शब्दों के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में छात्रों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए कि सही नाम और जन्म तिथि दर्ज की गई है। इस बारे में अभिभावकों को सूचित किया जा सकता है।
14. कक्षा IX/XI की परीक्षाएं स्कूलों द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जानी चाहिए।
15. सीबीएसई द्वारा स्कूल को आवंटित सेक्शनों के अनुसार, स्कूल द्वारा प्रायोजित छात्रों की संख्या, स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। प्रत्येक विषय में प्रायोजित उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार, मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की जिम्मेदारी स्कूल की होगी।
16. स्कूल, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई एक विधिवत भरी हुई Excel फ़ाइल को व्यक्तिगत रूप से दर्ज करके या अपलोड करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
17. स्कूलों को, कक्षा IX/XI के पंजीकरण के अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले, अपने वास्तविक छात्रों की फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की सही प्रक्रिया अनुलग्नक-सी में दी गई है।
18. कई संगठन और राज्य, छात्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। तदनुसार, माता-पिता की वार्षिक आय के बारे में जानकारी, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही एकत्र की जा सकती है। स्कूलों को माता-पिता से आईटीआर/आय का कोई अन्य प्रमाण आदि की माँग नहीं करनी चाहिए।
19. संबद्धता उप-नियमों के अनुसार, स्कूल कक्षा IX और XI में कोई भी शैक्षणिक विषय पढ़ा सकते हैं, सिवाय उन विषयों के जिनमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। जिन शैक्षणिक विषयों में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें OASIS में अद्यतन करके पढ़ाया जा सकता है।
20. कक्षा-IX (कौशल) और कक्षा-XI (शैक्षणिक और कौशल) के लिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं विषयों को पढ़ाएँ जिनकी अनुमति उन्हें बोर्ड द्वारा दी गई है। यदि स्कूल, बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त विषयों के अलावा किसी अन्य विषय में छात्रों को प्रायोजित करता है, तो सीबीएसई निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

(क) उम्मीदवारों को कक्षा X/XII में उन विषयों की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

(ख) स्कूल के खिलाफ संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

21. अध्ययन योजना के अनुसार, बोर्ड ने विषयों के मान्य/अमान्य संयोजनों की एक सूची निर्धारित की है। स्कूलों को पंजीकरण डेटा में विषय भरने से पहले, अनुलग्नक-एफ (कक्षा IX के लिए) और अनुलग्नक-आई (कक्षा XI के लिए) के अनुसार विषयों के संयोजन की जांच कर लेनी चाहिए।
23. सभी छात्रों का विवरण प्रत्येक शुल्क स्लैब के लिए केवल एक ही बार में (एक ही लॉट में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी शुल्क स्लैब में डेटा को टुकड़ों में जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक स्लॉट में छात्रों की केवल एक ही सूची स्वीकार की जाएगी।
24. पिछले वर्षों में, स्कूलों को कक्षा IX/XI के पंजीकरण के अंतिम रूप दिए गए डेटा की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होती थी। वर्ष 2021 से, इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब, पंजीकरण डेटा को उस सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा जिसमें प्रधानाचार्य के आधार से जुड़ा हुआ ई-हस्ताक्षर उपलब्ध होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपलोड किया गया डेटा पूरी तरह से सही हो। अंतिम रूप से प्रस्तुत किए जाने के बाद सीबीएसई द्वारा डेटा में किसी भी प्रकार के संशोधन/अपडेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
25. स्कूल दिए गए निर्धारित समय-सारिणी के भीतर, अपनी सुविधानुसार डेटा अपलोड कर सकते हैं। वे कई बार डेटा अपलोड कर सकते हैं और उसे सहेज/सेव सकते हैं। हालाँकि, उन्हें शुल्क के साथ, अंतिम तिथि तक या उससे पहले डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। डेटा प्रस्तुत करने के बाद किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
26. ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों को मध्यरात्रि 11:59 बजे बंद हो जाएगी। इसलिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण डेटा को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का कार्य समय रहते पूरा कर लें, ताकि अंतिम दिन इंटरनेट पर अत्यधिक भार के कारण धीमे कनेक्शन या सर्वर से जुड़ने में विफलता की संभावना से बचा जा सके, अथवा किसी अन्य कारण से होने वाली परेशानी से बचा जा सके।
27. प्रत्येक गतिविधि के लिए अंतिम तिथि निर्धारित है और अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं किया जाएगा। अतः, स्कूलों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय के भीतर संबंधित गतिविधि को पूरा कर लें।
28. पंजीकरण डेटा प्रस्तुत करने के बाद, विषय बदलने, कक्षा IX और XI में प्रवेश (स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर) और CWSN के लिए रियायतों के किसी भी अनुरोध पर बोर्ड विचार नहीं करेगा।
29. किसी भी कठिनाई की स्थिति में, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

डेटा सही ढंग से प्रस्तुत करने के प्रयास

30. यह देखा गया है कि कक्षा X और कक्षा XII पास करने के बाद, छात्र सीबीएसई से अपने निजी डेटा - जैसे कि उनका नाम, जन्म तिथि, माता और पिता का नाम - में सुधार/बदलाव करने और संशोधित शैक्षिक दस्तावेज़ जारी करने का





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुरोध करते हैं। उनके अनुरोध कई तरह के बहानों पर आधारित पाए जाते हैं। इन अनुरोधों को स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई के लिए भी स्वीकार करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनसे एक नई पहचान बन सकती है, जिससे कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं।

एक बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर CBSE को डेटा प्रस्तुत हो जाने के बाद, स्कूल अपने पास उपलब्ध किसी भी छात्र के रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसी तरह, कक्षा XI के छात्रों का डेटा पूरी तरह से उनके कक्षा X के प्रमाणपत्र के अनुसार ही होगा, और एक बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सीबीएसई को डेटा प्रस्तुत हो जाने के बाद, सीबीएसई की मंजूरी के बिना इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

स्कूलों को छात्रों को सही डेटा के महत्व और कक्षा IX में सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन कराते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी/मार्गदर्शन देना ज़रूरी है। सीबीएसई भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है, और सिस्टम में कई तरह की जाँचें शामिल की गई हैं, ताकि सभी छात्रों का डेटा 100% सही हो और सीबीएसई को डेटा में सुधार के लिए कोई अनुरोध न प्राप्त हो। इसके लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

- (क) छात्रों के संज्ञान में यह बात लाई जाए कि पंजीकरण के लिए सही डेटा ही उपलब्ध कराना है।
 - (ख) डेटा की सही होने की पुष्टि के लिए, स्कूल द्वारा छात्रों और उनके माता-पिता को पंजीकरण कार्ड के रूप में पंजीकरण का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
 - (ग) उम्मीदवारों की सूची (LOC) पंजीकरण रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए गए डेटा पर ही आधारित होगी।
 - (घ) डेटा के सही होने की पुष्टि के तौर पर, माता-पिता पंजीकरण और एलओसी पर हस्ताक्षर करेंगे।
 - (ङ) प्रवेश पत्र पर डेटा के सही होने के संबंध में उम्मीदवार और माता-पिता द्वारा एक वचनपत्र दिया जाएगा।
 - (च) माता-पिता कक्षा X और XII की अंक तालिका-सह-प्रमाण पत्र के पीछे एक वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें वे यह प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने दिए गए विवरण की जाँच कर ली है और सही पाया है।
- तदनुसार, स्कूलों से अनुरोध है कि वे छात्रों और उनके माता-पिता को निम्नलिखित तरीके से मार्गदर्शन करें:

(क) छात्रों को अपना तथा अपने पिता/माता/अभिभावक का पूरा नाम लिखना अनिवार्य है। यह सलाह दी जाती है कि वे नामों का संक्षिप्त रूप न लिखें।

(ख) वे यह सुनिश्चित कर लें कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के रिकॉर्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट आदि जैसे सभी दस्तावेजों में उनका विवरण एक समान हो।

(ग) छात्रों को अपना नाम पूरा लिखना चाहिए, अर्थात् नाम का कोई भी संक्षिप्त रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

(घ) उनकी जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार ही होनी चाहिए।

(ङ) उन्हें अपने उपनाम की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विदेश यात्रा के दौरान, जिस देश में वे जा रहे हैं, वहाँ के नियमों के अनुसार नाम के दोनों हिस्सों (प्रथम नाम और उपनाम) का होना अनिवार्य हो सकता है।

(च) नाम के साथ कोई भी संबोधन (जैसे श्री, श्रीमती आदि) नहीं जोड़ा जाएगा।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

(छ) इस वर्ष, कक्षा IX / XI के लिए पंजीकृत होने वाले प्रत्येक छात्र के लिए APAAR ID अनिवार्य की जा रही है।

डेटा अपलोड करते समय, स्कूलों की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी होगी कि: -

31. छात्र/माता/पिता/अभिभावक के नाम की वर्तनी (spelling) सही हो और स्कूल द्वारा रखे गए प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि उम्मीदवार/ माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम भरा जाए, ताकि भविष्य में सुधार की आवश्यकता न पड़े और उम्मीदवार को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। नामों में संक्षिप्त रूपों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
32. जन्म तिथि सही हो और स्कूल द्वारा रखे गए 'प्रवेश और निकासी रजिस्टर' के अनुसार हो। 33. विषयों का संयोजन सही हो और 'अध्ययन योजना' के अनुसार हो। विषय कोड का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, और विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों में कोड का चयन सही ढंग से किया जाना चाहिए:

(क) कक्षा - IX :

अंग्रेज़ी (कम्यूनिकेटिव) (101), अंग्रेज़ी (भाषा एवं साहित्य) (184);
हिंदी - ए (002), हिंदी - बी (085);
संस्कृत (संवादपरक) (119), संस्कृत (122);
उर्दू-ए (003), उर्दू-बी (303);
तेलुगु (007), तेलुगु (तेलंगाना) (089);
गणित(मानक)(041), गणित (बेसिक) (241)।

(ख) कक्षा - XI :

हिंदी कोर (302), हिंदी वैकल्पिक (002);
अंग्रेज़ी कोर (301), अंग्रेज़ी इलेक्टिव (001);
संस्कृत कोर (322), संस्कृत वैकल्पिक (022);
उर्दू कोर (303), उर्दू वैकल्पिक (003);
गणित (041), अनुप्रयुक्त गणित (241)।

स्कूलों द्वारा की जाने वाली आम गलतियाँ

- (i) छात्रों का गलत विषय और डेटा प्रस्तुत करना
- (ii) छात्रों का पंजीकरण भी न करना
- (iii) सभी छात्रों का पंजीकरण न करना और बाद में सीबीएसई से अनुरोध करना
- (iv) कक्षा VIII में फेल हुए छात्र को कक्षा IX में और कक्षा X में फेल हुए छात्र को कक्षा XI में प्रवेश देना
- (v) कक्षा XI में ऐसे छात्र को प्रवेश देना जिसने कक्षा X किसी गैर-मान्यता प्राप्त/फर्जी बोर्ड से पास की हो
- (vi) जन्म तिथि में दिन और महीने को आपस में बदल देना
- (vii) तरह-तरह के बहाने बनाना, जैसे कि पंजीकरण का काम सौंपे गए क्लर्क के चाचा की मृत्यु हो जाने के कारण वह प्रिंसिपल को बिना कोई जानकारी दिए स्टेशन छोड़कर चला गया, या पंजीकरण के लिए ज़िम्मेदार शिक्षक की तबीयत खराब थी या उसकी दुर्घटना हो गई, और इसलिए पंजीकरण होने से छूट गया।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

- (viii) सीबीएसई द्वारा कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तिथि से 5 दिन पहले से ही, हर दिन संबंधित शिक्षक/अधिकारी से पंजीकरण और फीस जमा होने की स्थिति के बारे में रिपोर्ट लें। यह प्रधानाचार्य की पहली ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी पात्र छात्रों का पंजीकरण सही डेटा के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत हो जाए।
- (ix) एक ही नाम वाले दो छात्रों का डेटा गलत तरीके से प्रस्तुत करना।

OASIS में डेटा प्रस्तुत करना

स्कूलों से यह आशा की जाती है कि वे OASIS पोर्टल पर अपना डेटा हमेशा अद्यतन/अपडेटेड रखें। तथापि, एक बार फिर, स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने से पहले ही OASIS पोर्टल पर अपनी जानकारी पूरी या अपडेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने से पहले OASIS डेटा को पूरा या अपडेट करना अनिवार्य है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सेक्शनों की संख्या, संबद्धता यूनिट द्वारा स्कूल को दी गई अनुमति से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह भी ध्यान दें कि सेक्शनों की संख्या और कुल उम्मीदवारों की संख्या पर लगी रोक, रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने की तारीख से पहले OASIS में स्कूल द्वारा दर्ज किए गए सेक्शनों की संख्या पर आधारित होगी। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने के बाद किए गए अपडेट स्कूल के अकाउंट में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने की तारीख से पहले, विशेषकर सेक्शन की संख्या, OASIS पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट कर लें।

पाठ्यक्रम और अध्ययन योजना

बोर्ड ने एक अध्ययन योजना निर्धारित की है, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए [https://cbseacademic.nic.in/curriculum 2026.html](https://cbseacademic.nic.in/curriculum%2026.html) लिंक पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में दी गई है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुसार ही विषय चुनने होंगे।

यह आशा की जाती है कि स्कूल दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, छात्रों का सही डेटा इकट्ठा करेंगे और उसे सही तरीके से ही प्रस्तुत करेंगे। सही डेटा अपलोड करने में उनके प्रयासों से उम्मीदवारों को सही विषय के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, साथ ही सही विवरण वाले दस्तावेज़ भी मिल पाएंगे; इससे परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के व्यक्तिगत डेटा में सुधार की ज़रूरत वाले मामले भी कम हो जाएंगे।

कार्यालय समय के दौरान किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ:

<https://www.cbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html>

भवदीय

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक ए	कक्षा IX/XI में पंजीकरण के लिए शुल्क विवरण
अनुलग्नक बी	कक्षा IX/XI में छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण के चरण
अनुलग्नक सी	फोटो/तस्वीरों को स्कैन करने और अपलोड करने के चरण
अनुलग्नक डी	कक्षा IX की अध्ययन योजना
अनुलग्नक ई	कक्षा IX के लिए विषयों की सूची
अनुलग्नक एफ	कक्षा IX के लिए विषय संयोजनों के उदाहरण
अनुलग्नक जी	कक्षा XI की अध्ययन योजना
अनुलग्नक एच	कक्षा XI के लिए विषयों की सूची
अनुलग्नक आई	कक्षा XI के लिए विषय संयोजन के उदाहरण
अनुलग्नक जे	APAAR ID के बारे में जानकारी।

नीचे दर्शाए गए संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को प्रतिलिपि भेजी जा रही है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों तक यह जानकारी पहुँचाएँ:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, दिल्ली -110016. commissioner-kvs@gov.in
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309. nvsshww@gmail.com, commissioner.nvs@gov.in
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली- 110054 diredu@nic.in
4. लोक अनुदेशन निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017 dpi-chd@nic.in
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101 directorhehrdd@gmail.com
6. स्कूली शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111 dhearunachal@rediffmail.com
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101 nocbseani@gmail.com
8. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली - 110001 tmls-mod@nic.in
9. सचिव एडबल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, FDRC भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के निकट), दिल्ली कैंट 110010 coordsection.aweshq@awesindia.edu.in
10. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। nests-tribal@tribal.gov.in, commissioner.nests@tribal.gov.in
11. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, N-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा 751005 parag.g@nic.in
12. नेवी एजुकेशन सोसाइटी (NES), नौसेना शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक V, विंग II, फ्लोर II, आरके पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066. nesnavy@gmail.com
13. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी सरकार, 'A' ब्लॉक, I फ्लोर, पेरुथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फुट रोड, अन्ना नगर, पुडुचेरी - 605 005. dse-edn@py.gov.in



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

14. प्रधान निदेशक, स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा निदेशालय, अपर बायावु हिल, कोहिमा, नागालैंड- 797121 dio-khm@nic.in,
DirectorateSE@gmail.com, examInfoDose@gmail.com
15. निदेशक, स्कूल शिक्षा लद्दाख, कमरा नंबर 101, 102, ग्राउंड फ्लोर, काउंसिल सचिवालय, कुरबाथांग, कारगिल - लद्दाख 194103. dseladakh@gmail.com
16. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, शिक्षा भवन, अगरतला, त्रिपुरा 799001 director.sed-tr@gov.in
17. निदेशक, स्कूल शिक्षा, ईएसएस सेक्टर, ईटानगर- 791111 secyedup@gmail.com
18. अध्यक्ष के उप सचिव, अध्यक्ष, सीबीएसई की सूचना हेतु।
19. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष।
20. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों के प्राचार्यों को भेजें।
21. वेब एडमिन, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें। 22. मीडिया एवं जनसंपर्क, सीबीएसई - उचित प्रसार एवं प्रचार हेतु।
cbsemediapr@cbseshiksha.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-ए

कक्षा X और कक्षा XII सत्र 2025-26 के लिए पंजीकरण के लिए शुल्क विवरण।

शुल्क स्लेब	प्रति छात्र जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क भारतीय रुपये में				छात्रों का पंजीकरण करने की समय-सारिणी	शुल्क भुगतान की समय-सारिणी वही है जो पंजीकरण की है।
	भारत में		विदेश में			
					16.09.2025 (मंगलवार) से 16.10.2025 (गुरुवार) तक	शुल्क भुगतान की समय-सारिणी वही है जो पंजीकरण की है।
विलंब शुल्क के बिना	320/-	320/-	550/-	660/-		
विलंब शुल्क के साथ	2320/-	2320/-	2550/-	2660/-	17.10.2025 (शुक्रवार) से 31.10.2025 (शुक्रवार) तक	शुल्क भुगतान की समय-सारिणी वही है जो पंजीकरण की है।
प्रशिक्षण शुल्क	20,000/			20,000/		पंजीकरण शुल्क के साथ****
खेल कूद शुल्क	10,000/			10,000/		पंजीकरण शुल्क के साथ

दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को कक्षा IX और XI के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

*** अधिसूचना संख्या CBSE/HQ/Training Fee Revision/2023/3019 दिनांक 22/02/2023 के माध्यम से प्रशिक्षण शुल्क को ₹10,000 से परिशोधित करके ₹20,000 कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण नोट: - शुल्क केवल सीबीएसई द्वारा निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन माध्यम से, बैंक खाते में सीधे जमा करके आदि किसी भी तरीके से शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा; परिणामस्वरूप, यह शुल्क स्कूल के खातों में अपडेट नहीं होगा और बोर्ड एलओसी स्वीकार नहीं करेगा।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	शुल्क भुगतान का तरीका
(क)	सभी गतिविधियों के लिए फीस केवल सीबीएसई द्वारा स्वीकार किए गए निम्नलिखित डिजिटल भुगतान तरीकों से ही ली जाएगी: भारत: इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/NEFT/RTGS/अन्य देश नेपाल सहित इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/SWIFT कार्ड/क्रेडिट कार्ड।
(ख)	1. NEFT/RTGS (काउंटर पर) के ज़रिए भुगतान करते समय, स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बैंक ब्रांच चालान नंबर, चालान की तारीख और चालान की राशी डालते समय पूरी सावधानी बरते। ऊपर दी गई जानकारी में कोई भी गलती होने पर भुगतान अपने-आप रद्द हो जाएगा और राशी स्कूल के बैंक खाते में वापस आ जाएगी; इसके लिए स्कूल ही ज़िम्मेदार होगा। 2. भुगतान हो जाने के बाद, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के असफल भुगतान/रद्दीकरण की जानकारी के लिए नियमित रूप से अपना बैंक खाता देखते रहें। 3. अगर फीस पोर्टल पर भुगतान की स्थिति अपडेट नहीं होती है, तो स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे उसी दिन दोबारा भुगतान न करें और अपनी शिकायत feehelpdesk.cbse@gmail.com पर ईमेल के ज़रिए भेजें।
(ग)	चूंकि SWIFT अपडेट होने में 5-7 दिन लग सकते हैं, इसलिए भारत के बाहर स्थित स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रक्रिया (फीस का भुगतान सहित) इस तरह से पूरी करें कि अंतिम तारीख से पहले उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाए।
(घ)	बैंक से जुड़े लेन-देन या सीबीएसई सर्वर पर फीस अपडेट न होने की स्थिति में, स्कूलों को उस संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके ज़रिए भुगतान किया गया था। बैंकों की संपर्क जानकारी सीबीएसई की वेबसाइट पर दी गई है। आम तौर पर, फीस अपडेट न होने की समस्या को हल करने के लिए बैंक को निम्नलिखित जानकारी की ज़रूरत होगी; इसलिए, बैंक से संपर्क करने से पहले यह जानकारी तैयार रखें: भुगतान का तरीका फीस सन्दर्भ संख्या जमा की गई राशी जमा करने की तारीख वह ब्रांच जहां राशी जमा की गई थी बैंक रेफरेंस नंबर (बैंक खाते में दिखाई देने वाली ट्रांज़ैक्शन आईडी) आपका संपर्क नंबर।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण	
	जिस तारीख को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है, उसे शुल्क गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है
(i)	यदि छात्रों का विवरण अंतिम तिथि को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, तो स्कूल बिना विलंब शुल्क के अंतिम तिथि तक शुल्क का भुगतान कर सकता है। इसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(ii)	यह ध्यान दिया जाए कि यदि अंतिम तिथि तक छात्रों के एलओसी डेटा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो विलंब शुल्क लागू होगा। डेटा को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम तिथि का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। डेटा को अंतिम रूप देना छात्रों के डेटा की प्रविष्टि/अपलोड के बाद की एक गतिविधि है।
(ii)	सावधान: स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि एलओसी डेटा को समय पर अंतिम रूप दिया जाए और शुल्क को निर्धारित समय के अनुसार सही से प्रस्तुत किया जाए। एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने और शुल्क जमा करने में किसी भी तरह की देरी पर विलंब शुल्क का जुर्माना लगाया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है।

अनुलग्नक-बी

कक्षा-XII के लिए स्कूलों के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की श्रेणियाँ।	
1	पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्कूल को निम्नलिखित जानकारी अपडेट करनी होगी: - (क) स्कूलों को सेक्शनों की संख्या और छात्रों की संख्या दर्ज करनी होगी, जो OASIS पर दी गई जानकारी से मेल खानी चाहिए। यह जानकारी OASIS में बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए, क्योंकि बाद में स्कूलों को घोषित सेक्शन/संख्या में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। (ख) स्कूल का विवरण: स्कूल के विवरण में कोई भी सुधार, जैसे प्रधानाचार्य का नाम, फ़ोन नंबर, अनुभव, स्कूल की वेबसाइट, भविष्य के संचार के लिए मान्य ईमेल पता, छात्रों का विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और पदनाम, अपडेट किया जाना चाहिए। (ग) शिक्षक प्रशिक्षण विवरण का अद्यतनीकरण/अपडेशन: इस विकल्प का उपयोग स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण विवरण के बारे में अनिवार्य जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। यह विवरण केवल एक बार भरा जा सकता है, इसलिए इसे सावधानी से भरा जाना चाहिए। विवरण की प्रिंटेड हार्डकॉपी अंतिम सूची के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

2	व्यक्तिगत प्रविष्टियाँ अपलोड करने और Excel फ़ाइलें एक साथ अपलोड करने की विधि : (क) जिन स्कूलों में कक्षा IX/XI में छात्रों की संख्या कम है, वे व्यक्तिगत प्रविष्टि के माध्यम से सीधे वेबसाइट पर विवरण दर्ज कर सकते हैं। (ख) बड़ी संख्या में प्रविष्टियों के लिए, स्कूल वैकल्पिक रूप से 'Download Excel File' विकल्प पर क्लिक करके Excel फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। Excel फ़ाइल में डेटा भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए: - ● स्कूलों को Excel फ़ाइल का फ़ॉर्मेट नहीं बदलना चाहिए, अन्यथा छात्रों का डेटा ठीक से अपलोड नहीं होगा। ● स्कूल Excel फ़ाइल के माध्यम से डेटा केवल एक बार ही अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद, यदि कोई अतिरिक्त जानकारी जोड़नी हो, सुधार करना हो या कुछ हटाना हो, तो वह केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। ● वह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया जाना चाहिए, जिस पर उम्मीदवार से संपर्क किया जा सके। ● Excel फ़ाइल में डेटा की प्रविष्टियाँ पूरी करने और अच्छी तरह से जाँच करने के बाद, 'Upload Excel File' विकल्प पर क्लिक करके उसे अपलोड किया जा सकता है। जब तक आप एक चेकलिस्ट तैयार न कर लें और आवश्यक सुधार न कर लें, तब तक डेटा को अंतिम रूप न दें।
	● स्कूलों को चाहिए कि वे प्रस्तुत की गई जानकारी को, स्कूल के 'दाखिला और निकासी रजिस्टर' में दर्ज हर छात्र के विवरण के साथ, बहुत सावधानी और बारीकी से मिलाकर और दोबारा जांचकर देखें। ● स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों के नाम, जन्म तिथि या अन्य विवरण दर्ज करते समय सावधानी बरतें। ● जिस तारीख को छात्र के विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा, उसी के आधार पर स्कूल द्वारा भुगतान किए जाने वाला शुल्क तय होगा, और यह कंप्यूटर द्वारा स्वतः जेनरेट हो जाएगा। ● जिन स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे Excel फ़ाइल डाउनलोड करके उसमें ऑफ़लाइन मोड में एंट्री करें। इसके बाद, फ़ाइल अपलोड करने से पहले उसका एक प्रिंट निकाल लें। Excel फ़ाइल को ब्रॉडबैंड से जुड़े किसी कंप्यूटर या साइबर कैफ़े से अपलोड किया जा सकता है।
3	पंजीकृत छात्रों की चेकलिस्ट प्रिंट करना : (क) स्कूल, "पंजीकृत छात्रों की चेकलिस्ट प्रिंट करें" विकल्प चुनकर, छात्रों की सूची का प्रिंट निकाल सकते हैं। (ख) प्रिंटर सेटिंग्स को A4 साइज़ के पेपर के लिए, लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ, सभी तरफ 0.25" के मार्जिन पर सेट किया जा सकता है। (ग) इस सूची की हेडिंग 'CHECKLIST OF STUDENTS REGISTERED FOR CLASS...' होगी। (घ) सूची में दी गई जानकारी की तुलना मूल प्रवेश और निकासी रजिस्टर से की जा सकती है। हर छात्र द्वारा चुने गए विषय कोड और विषय का नाम भी चेक किया जाना चाहिए।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	(ड) जब स्पेलिंग की गलतियों सहित सभी सुधार नोट कर लिए जाएं, तो “Correction of Registered List of Students” ऑप्शन चुनकर ऑनलाइन सुधार किए जाने चाहिए।
	रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट में सुधार: इस गतिविधि के तीन विकल्प हैं: ADD, MODIFY, DELETE। ● ADD: किसी भी छूटे हुए छात्रों/नए छात्रों की जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। ● MODIFY: छात्र की पहले से सबमिट की गई जानकारी में सुधार/बदलाव/ठीक किया जा सकता है। छात्र की जानकारी के सामने प्रिंट किया गया रिकॉर्ड नंबर टाइप किया जाता है और छात्र की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। ज़रूरी अद्यतन/सुधार/बदलाव उस विशेष जानकारी के सामने टाइप किए जा सकते हैं। ● DELETE: छात्र की पहले से प्रस्तुत की गई जानकारी को सूची पूरी तरह हटाया जा सकता है; इसके लिए उस छात्र की जानकारी के सामने प्रिंट किया गया रिकॉर्ड नंबर टाइप करना होगा जिसकी जानकारी सूची से हटानी है। हटाने से पहले छात्र की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। एक बार हटाई गई जानकारी को वापस नहीं पाया जा सकता; अगर दोबारा आवश्यक हो, तो उसे ADD ऑप्शन का इस्तेमाल करके फिर से डालना होगा। नोट: ऑप्शन “Checklist Printing of Registered Students” और ऑप्शन “Correction of Registered List of Students” को तब तक कितनी भी बार दोहराया जा सकता है जब तक सूची पूरी तरह से गलतियों से मुक्त न हो जाए।
	डेटा को अंतिम रूप देना करना और शुल्क का भुगतान: (क) जब उम्मीदवार/माता/पिता के नाम में स्पेलिंग की गलतियों सहित सभी सुधार कर लिए जाएं और सूची पूरी तरह से गलतियों से मुक्त हो जाए, तो डेटा को अंतिम रूप देना चाहिए। (ख) डेटा को अंतिम रूप देने का आशय है कि सबमिट किए गए डेटा में अब कोई और सुधार/हटाना/बदलाव नहीं किया जाएगा; इसका अर्थ है कि सबमिट किया गया डेटा अब अंतिम है। (ग) डेटा के पहले लॉट (Excel फ़ाइल) को फ़ाइनल करने के बाद भी, अगले लॉट में और छात्रों को जोड़ा जा सकता है (ऑनलाइन व्यक्तिगत प्रविष्टि के द्वारा); बशर्ते जानकारी सबमिट करने की तारीख तय समय-सीमा के अंदर हो, और नए लॉट के लिए छात्रों की संख्या की तय सीमा अभी पूरी न हुई हो। शुल्क, उस अवधि के लिए शुल्क समय सारिणी के अनुसार होगा। (घ) कोई भी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 5 लॉट में छात्रों को जोड़ और फ़ाइनल कर सकता है (एक लॉट Excel अपलोडिंग का और 4 बार अलग-अलग ऑनलाइन एंट्री)। (ङ) डेटा को अंतिम रूप देने के बाद, अपेक्षित शुल्क उपलब्ध भुगतान तरीकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा। कृपया शुल्क पृष्ठ देखें।
	APAAR ID अपडेट करना (सिर्फ़ भारत में स्थित स्कूलों के लिए) क) स्कूल "Update APAAR ID" टैब खोलेगा। ख) छात्रों की एक लिस्ट, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम होगा, स्कूल को दिखाई देगी। ग) स्कूल को संबंधित छात्र की APAAR ID भरनी होगी, साथ ही APAAR ID शेयर करने की सहमति भी देनी होगी। स्कूल कृपया ध्यान दें कि टेक्स्टबॉक्स में एक वैध APAAR ID ही डाली जानी चाहिए।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

छात्रों के पंजीकरण की अंतिम सूची प्रिंट करना :

(क) जब तक फीस जमा नहीं हो जाती, तब तक अंतिम सूची नहीं बनाई जा सकती। स्कूल पंजीकृत छात्रों की अंतिम सूची के प्रिंटआउट लेंगे।

(ख) इस सूची का शीर्षक होगा 'FINAL LIST OF STUDENTS REGISTERED FOR CLASS__'।

(ग) एक बार अंतिम सूची बन जाने के बाद, इस डेटा में कोई और जोड़, हटाना या सुधार नहीं किया जा सकता।

(घ) प्रिंटर सेटिंग्स को A4 साइज़ के पेपर के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सेट किया जा सकता है, जिसमें सभी तरफ़ के मार्जिन 0.25" पर सेट हों।

(ङ) स्कूल छात्रों की हाल की, हार्ड-कॉन्ट्रास्ट वाली पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो (जो साफ़

तौर पर छात्र का नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख दिखाती हो - फ़ोटो शैक्षणिक सत्र की 1 अप्रैल या उसके बाद खींची गई होनी चाहिए) को गोंद/चिपकाने वाले पदार्थ से (पिन या स्टेपल नहीं करना है) छात्र की जानकारी के सामने दी गई जगह पर अच्छी तरह से चिपकाएँगे और इसके लिए तय की गई जगह पर छात्र के हस्ताक्षर लेंगे।

(च) स्कूल को छात्र के हस्ताक्षर और फ़ोटो वाला अंतिम प्रिंटआउट स्कूल रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखना होगा।

(छ) चूंकि सीबीएसई ने परीक्षा से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों के लिए कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका अपनाया है, इसलिए स्कूलों को किसी भी आवेदन को प्रोसेस करवाने के लिए बैंक/बोर्ड के किसी भी अधिकारी को कैश में कोई भी रकम नहीं देनी चाहिए।

(ज) स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रायोजित किए गए उम्मीदवार वास्तव में उनके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों। नकली या स्कूल न आने वाले उम्मीदवारों को प्रायोजित करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

CWSN और विषयों में छूट

(क) स्कूलों को CWSN उम्मीदवारों के लिए विषयों के चुनाव के संबंध में उपलब्ध छूटों को समझना चाहिए।

(ख) स्कूल सबसे पहले बिना किसी छूट के CWSN छात्रों के नाम, सामान्य विषयों के

साथ अपलोड करेंगे। लेकिन छात्रों को बिना किसी चूक के CWSN के तौर पर चिह्नित किया जाएगा।

(ग) सामान्य छात्रों के साथ डेटा अपलोड करने के बाद, डेटा को फ़ाइनल करने से पहले, CWSN छात्रों के विषयों को उनके लिए उपलब्ध छूटों के अनुसार एडिट करने के लिए CWSN छात्रों के संबंध में "MODIFY" विकल्प का उपयोग किया जाएगा।

(घ) विशेष आवश्यकता वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध छूटों के विस्तृत प्रावधान नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination Circular/2019/5 CIRCULAR.pdf>



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-सी

फोटोग्राफ को स्कैन और अपलोड करने के चरण

फोटो का प्रकार

- (क)
- फोटो पूरी तरह से रंगीन और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए ताकि कोई भी दिखाई देने वाले पिक्सल से बचा जा सके।
 - फोटो पिछले 6 महीनों में ली गई होनी चाहिए।
 - सिर कैमरे के ठीक सामने, केंद्र में स्थित होना चाहिए और छवि का 80% भाग कवर करना चाहिए। फोटो में बालों के ऊपरी भाग से थोड़ा ऊपर से लेकर छाती के मध्य तक का दृश्य कैद होना चाहिए।
 - चेहरे पर स्वाभाविक भाव रखें- मुस्कुराना अनुमत है।
 - विषय (उम्मीदवार) स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और पृष्ठभूमि से अलग पहचाना जा सकता है। ठोस रंग की पृष्ठभूमि सबसे अच्छी होती है।
 - आंखें खुली होनी चाहिए और कैमरे की ओर देखनी चाहिए। चश्मे रंगीन नहीं होने चाहिए, सिवाय उन मामलों में जहां चिकित्सा कारणों से इन्हें रोजाना पहना जाता हो।
 - व्यक्ति का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए



कुलवंत सिंह

01/04/2025

फोटो अपलोड करने की विधि पंजीकरण/एलओसी पोर्टल पर फोटो अपलोड करने के दो तरीके हैं:

(ख) एकल फोटो स्कैन करने का तरीका

- उम्मीदवार की फोटो को स्कैन करें और उसे जेपीजी फाइल के रूप में सेव करें।
- कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो का आकार पासपोर्ट आकार का हो और उसकी सीमा 40 केबी हो
- फोटो को उम्मीदवार के पंजीकरण संख्या के साथ सेव करें।
- सभी फोटो को एक ही फ़ोल्डर में इकट्ठा करें।
- सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएँ और Registration/LOC पोर्टल में लॉग-इन करें।
- फोटो अपलोड करने के विकल्प पर जाएँ।
- वह कक्षा चुनें जिसके लिए फोटो अपलोड करनी है और सूची जनरेट करें।
- प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के आगे दिए गए Browse बटन पर क्लिक करें।
- फ़ोल्डर से फोटो चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें।
- ऊपर दिए गए स्टेप को तब तक दोहराएँ जब तक सभी फोटो अपलोड न हो जाएँ।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

(ग)	एक साथ कई फोटो स्कैन करने का तरीका (i) सुनिश्चित करें कि सभी फोटो का साइज़ एक जैसा हो। (ii) सादे कागज़ पर बॉक्स बनाएँ (एक लाइन में 04 या 05 फोटो के लिए), बॉक्स में फोटो चिपकाएँ और पेज को स्कैन करें। (iii) अब स्कैन की गई jpg फ़ाइल को Photoshop/Paint या किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ़्टवेयर में खोलें। (iv) पूरी इमेज का साइज़ बदलकर 1500×1200 पिक्सल कर दें। (v) स्कैन की गई इमेज में से किसी एक उम्मीदवार की फोटो को इमेज सिलेक्शन टूल से चुनें और Ctrl + C दबाकर कॉपी करें। (vi) इमेज एडिटर में एक नई फ़ाइल खोलें और चुनी हुई फोटो को पेस्ट करें। (vii) नई फ़ाइल को फोटो वाले फ़ोल्डर में jpg फ़ाइल के तौर पर सेव करें। इस फ़ाइल का नाम उम्मीदवार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर रखें। (viii) शीट में उपलब्ध सभी फोटो के लिए यही स्टेप दोहराएँ। (ix) सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएँ और Registration/LOC पोर्टल में लॉग-इन करें। (x) फोटो अपलोड करने के विकल्प पर जाएँ। (xi) वह क्लास चुनें जिसके लिए फोटो अपलोड करनी है और सूची जनरेट करें। (xii) हर उम्मीदवार के नाम के आगे दिए गए ब्राउज़ बटन पर क्लिक करें। (xiii) फ़ोल्डर से फोटो चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें। (xiv) ऊपर दिए गए स्टेप को तब तक दोहराएँ जब तक सभी फोटो अपलोड न हो जाएँ।
-----	--

ध्यान दें: -

- (क) आप फोटो के साथ एक जांच सूची जनरेट कर सकते हैं, जिससे यह पता चल जाएगा कि सभी फोटो सही तरीके से अपलोड हुई हैं या नहीं।
- (ख) यदि कोई सुधार करना हो, तो आप फोटो को दोबारा अपलोड कर सकते हैं।
- (ग) डेटा को अंतिम रूप देने तक फोटो बदली जा सकती हैं।
- (घ) डेटा को अंतिम रूप देने के बाद फोटो नहीं बदली जा सकती।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-डी

अध्ययन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा IX) 2025-26 के लिए

कक्षा IX और X दो वर्षों का एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्रों कक्षा X में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे, जिनका अध्ययन उन्होंने कक्षा IX में किया है। छात्रों को न्यूनतम 5 विषय चुनने होंगे, जो इस प्रकार हैं: -

विषय	विषयों के नाम	
अनिवार्य	विषय -1	भाषा - I (समूह-एल) हिंदी - ए या हिंदी - बी या अंग्रेजी (भाषा एवं साहित्य) या अंग्रेजी (कम्यूनिकेटिव)
	विषय -2	भाषा - II भाषाओं के गुप (समूह-एल) में से कोई भी एक भाषा (विषय 1 में चुनी गई भाषा के अलावा)
	विषय -3	गणित मानक अथवा गणित बेसिक
	विषय -4	विज्ञान (समूह-ए1)
	विषय -5	सामाजिक विज्ञान (समूह -ए1)
अतिरिक्त वैकल्पिक	विषय -6	कौशल विषय (कौशल विषयों के समूह में से) (समूह-एस)
	विषय -7	भाषा III (समूह-एल) / कोई भी शैक्षणिक विषय (समूह -ए2) ऊपर चुने गए विषयों के अलावा
आंतरिक मूल्यांकन के विषय	विषय -8 और 9	कला शिक्षा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव (स्कूल स्तर पर मूल्यांकन और प्रमाणन)





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

महत्वपूर्ण निर्देश :-

(क)	जो छात्र गणित-बेसिक (241) चुनते हैं, उनके पास कक्षा XI/वरिष्ठ माध्यमिक में अनुप्रयुक्त गणित (241) को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेने का विकल्प होगा, तथापि उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर गणित (041) लेने की अनुमति नहीं हो सकती है। तथापि, जिस छात्र ने गणित - मानक (041) चुना है, वह वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध दो गणित विषयों में से कोई एक चुन सकता है।
(ख)	यदि कोई छात्र तीन अनिवार्य शैक्षणिक विषयों (अर्थात्, विज्ञान, गणित और समाज विज्ञान) में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है और कौशल विषय (जो 6वें वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो) में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस अनिवार्य विषय की जगह कौशल विषय ले लेगा और कक्षा X बोर्ड परीक्षा का परिणाम उसी के अनुसार तैयार किया जाएगा।
(ग)	यदि कोई छात्र पहले पाँच विषयों में से किसी भाषा विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विषय की जगह सातवें विषय (वैकल्पिक) के रूप में ली गई भाषा ले लेगी, बशर्ते कि उसने सातवें भाषा विषय में पास किया हो, और इस बदलाव के बाद, पहले पाँच विषयों में हिन्दी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा पास भाषा के रूप में बनी रहे।
(घ)	यह उम्मीद की जाती है कि सभी छात्रों ने कक्षा VIII तक तीन भाषाओं का अध्ययन किया होगा। जो छात्र कक्षा VIII में तीसरी भाषा पास नहीं कर पाए और जिन्हें कक्षा IX में प्रमोट कर दिया गया है, उनकी परीक्षा संबंधित स्कूलों द्वारा कक्षा IX के अंत में उसी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ली जाएगी जो कक्षा VIII के लिए निर्धारित हैं। जो छात्र कक्षा IX के अंत तक भी तीसरी भाषा पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें कक्षा X में एक और अवसर दिया जा सकता है।
(ङ)	कक्षा IX और X में अध्ययन की जाने वाली दो भाषाओं में से एक हिन्दी या अंग्रेजी होनी अनिवार्य है। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को एक साथ भी चुना जा सकता है। हिन्दी विषय में, छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कक्षा IX और X के लिए दो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं; छात्र या तो हिन्दी ए (कोड 002) या हिन्दी बी (कोड 085) चुन सकता है। इसी तरह, अंग्रेजी विषय को भी दो स्तरों पर चुना जा सकता है: अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य (184) और कम्युनिकेटिव अंग्रेजी (101)।
(च)	जो छात्र छठे अतिरिक्त कौशल विषय का चयन करते हैं, वे 7वें विषय के रूप में एक अतिरिक्त भाषा III विषय का चयन भी कर सकते हैं।
(छ)	जहाँ कहीं भी, सीबीएसई द्वारा सेक्शनों/उम्मीदवारों की संख्या पर कोई रोक लगाई गई है, स्कूल सेक्शनों/उम्मीदवारों की संख्या की ऐसी सीमा पार नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में, यदि ज़रूरत हो, तो उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद संबद्धता यूनिट से पहले से अनुमति ली जा सकती है।
(ज)	बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in लिंक पर पाठ्यक्रम (Curriculum) में उपलब्ध है। स्कूलों को





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	अध्ययन योजना के अनुसार ही विषय (बोर्ड की अनुमति के अधीन) पढ़ाने होंगे।
(ट)	बोर्ड एक अंक-पत्र सह प्रमाण-पत्र जारी करता है जिसमें प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक अलग-अलग दिखाए जाते हैं। बोर्ड द्वारा कोई कुल स्कोर/प्रतिशत नहीं बताया जाता है। उन उम्मीदवारों के लिए जो 6/7 विषय लेते हैं और सभी 6/7 विषयों में पास हो जाते हैं, प्रतिशत की गणना उस कॉलेज/संस्थान के नियमों के अनुसार की जाएगी जिसमें उम्मीदवार प्रवेश लेना चाहता है।
(ठ)	अतीत में यह देखा गया है कि उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषयों और स्कूल में पढ़ाए जा रहे विषयों के बीच अंतर होता है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए विषय कोड और विषय का नाम सावधानीपूर्वक जांचा जाना चाहिए।
(ड)	यदि अध्ययन की योजना का उल्लंघन होता है, तो अपलोड किया गया डेटा अपलोड होने के बाद सर्वर पर त्रुटि (error) दिखाएगा। यह त्रुटि केवल सही विषय संयोजनों को चुनने के बाद ही ठीक की जाएगी।

****विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अध्ययन योजना**

'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016' में परिभाषित दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के पास दो या तीन भाषाओं के बजाय केवल एक अनिवार्य भाषा, और अधिकतम दो कौशल-आधारित विषयों (समूह-एस) का अध्ययन करने का विकल्प उपलब्ध है।

विषय		विषयों के नाम	समूह
अनिवार्य	1	भाषा - I (हिंदी - कोर्स ए या कोर्स बी या अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य या अंग्रेज़ी कम्यूनिकेटिव)	समूह-एल
	2	समूह-एल में से कोई भी एक भाषा या समूह-ए1, ए2 और समूह- एस से कोई एक विषय (ऑटोमोटिव को छोड़कर)	समूह-एल/ए1/ए2 एवं एस (ऑटोमोटिव को छोड़कर)
	3	समूह-ए1, ए2 और समूह- एस (ऑटोमोटिव को छोड़कर) में से कोई एक विषय	समूह-एल/ए1/ए2 एवं एस (ऑटोमोटिव को छोड़कर)
	4	समूह-ए1, ए2 से कोई एक विषय	समूह-ए1/ए2
	5	समूह-ए1, ए2 से कोई एक विषय	
वैकल्पिक	6	समूह-ए1, ए2 से कोई एक विषय	समूह-ए1/ए2





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	7	भाषा III (एल1 और एल2 के अलावा)	समूह-एल
आंतरिक मूल्यांकन (अनिवार्य)	8	कला शिक्षा	
	9	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव	

अनुलग्नक-ई विषय सूची कक्षा-IX (2025-26)				
क्र.सं.	कक्षा		विषय का नाम	
भाषा (समूह-एल)				
1.	IX	002	हिंदी कोर्स - ए	कोई एक
2.	IX	085	हिंदी कोर्स - बी	
3.	IX	101	अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव)	कोई एक
4.	IX	184	अंग्रेजी (भाषा और साहित्य)	
5.	IX	003	उर्दू कोर्स - ए	कोई एक
6.	IX	303	उर्दू कोर्स -बी	
7.	IX	004	पंजाबी	
8.	IX	005	बंगाली	
9.	IX	066	तमिल	
10.	IX	007	तेलुगु	कोई एक
11.	IX	089	तेलुगु-तेलंगाना	
12.	IX	008	सिन्धी	
13.	IX	009	मराठी	
14.	IX	010	गुजराती	
15.	IX	011	मणिपुरी	
16.	IX	012	मलयालम	
17.	IX	013	ओडिया	
18.	IX	014	असमिया	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

19.	IX	015	कन्नड़	
20.	IX	016	अरबी	
21.	IX	017	तिब्बती	
22.	IX	018	फ्रेंच	
23.	IX	020	जर्मन	
24.	IX	021	रूसी	
25.	IX	023	फारसी	
26.	IX	024	नेपाली	
27.	IX	025	लिंबू	
28.	IX	026	लेपचा	
29.	IX	088	भोटी	
30.	IX	091	कोकबोरोक	
31.	IX	092	बोडो	
32.	IX	093	तांगखुल	
33.	IX	094	जापानी	
34.	IX	095	भूटिया	
35.	IX	096	स्पेनिश	
36.	IX	097	कश्मीरी	
37.	IX	098	मिज़ो	
38.	IX	099	बहासा मेलायु	
39.	IX	119	संस्कृत (संवादमूलक)	कोई एक
40.	IX	122	संस्कृत	
41.	IX	131	राइ	
42.	IX	132	गुरुंग	
43.	IX	133	तमांग	
44.	IX	134	शेरपा	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

45.	IX	136	थाई	
अनिवार्य शैक्षणिक विषय (समूह-ए1)				
46.	IX	041	गणित (स्टैण्डर्ड)	कोई एक
47.	IX	241	गणित (बेसिक)	
48.	IX	086	विज्ञान	
49.	IX	087	सामाजिक विज्ञान	
अन्य शैक्षणिक विषय (समूह-ए2)				
50.	IX	031	कर्नाटक संगीत (गायन)	कोई एक
51.	IX	033	कर्नाटक संगीत (स्वर वाद्य)	
52.	IX	034	कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)	
53.	IX	035	हिंदुस्तानी संगीत (गायन)	
54.	IX	036	हिंदुस्तानी संगीत (स्वर वाद्य)	
55.	IX	049	हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)	
56.	IX	064	पेंटिंग	
57.	IX	064	गृह विज्ञान	
58.	IX	076	राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)	
59.	IX	154	व्यवसाय के तत्व	कोई एक
60.	IX	254	बहीखाता और लेखांकन के तत्व	
61.	IX	165	कंप्यूटर एप्लीकेशन	समूह-एस के 402/417 के साथ नहीं लिया जा सकता
कौशल विषय (समूह-एस)				
62.	IX	401	रिटेल	
63.	IX	403	सुरक्षा	
64.	IX	402	सूचना प्रौद्योगिकी	कोई एक, और समूह-ए2 के 165 के साथ नहीं लिया जा सकता
65.	IX	417	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

66.	IX	404	ऑटोमोटिव	
67.	IX	405	वित्तीय बाजारों का परिचय	
68.	IX	406	पर्यटन का परिचय	
69.	IX	407	सौंदर्य और स्वास्थ्य	
70.	IX	408	कृषि	
71.	IX	409	खाद्य उत्पादन	
72.	IX	410	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन	
73.	IX	411	बैंकिंग और बीमा	
74.	IX	412	विपणन और बिक्री	
75.	IX	413	स्वास्थ्य देखभाल	
76.	IX	414	परिधान	
77.	IX	415	मल्टीमीडिया	
78.	IX	416	मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स	
79.	IX	418	शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक	
80.	IX	419	डेटा विज्ञान	
81.	IX	420	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	
82.	IX	421	विज्ञान के लिए आधारभूत कौशल (फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी)	
83.	IX	422	डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन	
विषयों का पूरा विवरण इस वेबलिनक पर उपलब्ध है: https://cbseacademic.nic.in/curriculum 2026.html				



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-एफ़	
कक्षा IX के लिए विषय संयोजनों के उदाहरण	
मान्य विषय संयोजन	
केस 1 विषय 1: 184 अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य विषय 2: 085 हिंदी कोर्स-बी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 401 खुदरा व्यापार विषय 7: 006 तमिल	केस 4 विषय 1: 184 अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य विषय 2: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: ----- विषय 7: 122 संस्कृत
केस 2 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 2: 009 मराठी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 403 सुरक्षा विषय 7: 004 पंजाबी	केस 5 विषय 1: 184 अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य विषय 2: 006 तमिल विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
केस 3 विषय 1: 184 अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य विषय 2: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान	
अमान्य विषय संयोजन	
केस 1 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 2: 004 पंजाबी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 402 सूचना प्रौद्योगिकी विषय 7: 165 कंप्यूटर अनुप्रयोग	केस 3 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 2: 021 रूसी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 401 रिटेल विषय 7: 404 ऑटोमोटिव





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

केस 2 विषय 1: 018 फ्रेंच विषय 2: 006 तमिल विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान	अमान्य
--	--------

अनुलग्नक-जी

अध्ययन योजना		
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा XI) 2025-2026		
कक्षा XI और XII एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्र कक्षा XII में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे जो उन्होंने कक्षा XI में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषय निम्नानुसार पेश कर सकते हैं: -		
विषय	विषयों का नाम	
अनिवार्य	विषय 1	हिंदी वैकल्पिक या हिंदी कोर या अंग्रेजी वैकल्पिक या अंग्रेजी कोर
	विषय 2	ग्रुप - एल से कोई भी एक भाषा जो विषय 1 के रूप में नहीं चुनी गई है या ग्रुप - ए से कोई भी एक वैकल्पिक
	विषय 3	ग्रुप - ए या ग्रुप-एस से कोई भी वैकल्पिक
	विषय 4	ग्रुप - ए या ग्रुप-एस से कोई भी वैकल्पिक
	विषय 5	ग्रुप - ए से कोई भी वैकल्पिक
अतिरिक्त विषय वैकल्पिक	विषय 6	ग्रुप ए या एल से कोई भी एक वैकल्पिक या भाषा
आंतरिक मूल्यांकन के विषय	विषय 7 से 9 (सभी नियमित उम्मीदवारों द्वारा लिया जाना है)	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव, सामान्य अध्ययन





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

महत्वपूर्ण निर्देश : -

(क)	कक्षा XI और XII में पढ़े जाने वाले दो विषयों में से एक विषय हिंदी या अंग्रेजी होना अनिवार्य है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों को एक साथ भी चुना जा सकता है। कक्षा XI और XII के लिए हिंदी और अंग्रेजी, दोनों विषयों में दो-दो कोर्स उपलब्ध हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, कोई भी छात्र हिंदी इलेक्टिव (कोड 002) या हिंदी कोर (कोड 302), तथा अंग्रेजी इलेक्टिव (कोड 01) या अंग्रेजी कोर (कोड 301) में से किसी एक का चयन कर सकता है। तथापि, एक ही भाषा को 'कोर' और 'इलेक्टिव'—दोनों स्तरों पर नहीं चुना जा सकता है।
(ख)	ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली/अंक-तालिका में विषयों को भरने के क्रम में, शुरू के 5 विषयों को ही 'मुख्य विषय' माना जाता है।
(ग)	यदि किसी छात्र ने 6 विषय लिए हैं, और वह शुरू के पाँच विषयों में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विषय की जगह 6वें विषय को शामिल कर लिया जाएगा; बशर्ते कि छात्र 'अध्ययन योजना' की शर्तों को पूरा करता हो—अर्थात्, 6वें विषय को शामिल करने के बाद भी, मुख्य पाँच विषयों में से एक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी अनिवार्य रूप से बना रहे।
(घ)	जिन छात्रों ने 6 विषय (5 मुख्य और 1 अतिरिक्त विषय) लिए हैं और वे सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनके अंकों का प्रतिशत उनकी आवश्यकता/नियमों के अनुसार, उस नियोक्ता/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा ही निकाला जाएगा—जहाँ वे छात्र प्रवेश या रोज़गार के लिए आवेदन कर रहे हैं। सीबीएसई अंकों का प्रतिशत न तो निकालता है और न ही उपलब्ध कराता है। इस संबंध में सीबीएसई की कोई भूमिका नहीं है।
ङ	स्कूल द्वारा छात्रों को केवल वही विषय उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिनके लिए सीबीएसई से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।
च	बोर्ड ने एक 'अध्ययन योजना' निर्धारित की है, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम (Curriculum) में, इस लिंक— http://cbseacademic.nic.in पर उपलब्ध है। स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विषयों को (बोर्ड की अनुमति के अधीन) केवल इसी 'अध्ययन योजना' के अनुरूप ही उपलब्ध कराएँ।
छ	सीबीएसई में 'स्ट्रीम' की कोई अवधारणा नहीं है। छात्र ऊपर बताई गई योजना के अनुसार, पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध और संबंधित स्कूल में उपलब्ध विषयों में से किन्हीं 5 या 6 विषयों का चयन कर सकते हैं। स्कूल अपने प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देते हैं।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-एच

विषय सूची कक्षा-XI (2025-26)				
भाषा (समूह-एल)				
क्र. सं.	कक्षा	विषय	विषय का नाम	
1.	XI	001	अंग्रेजी वैकल्पिक	कोई एक
2.	XI	301	अंग्रेजी कोर	
3.	XI	002	हिंदी वैकल्पिक	कोई एक
4.	XI	302	हिंदी कोर	
5.	XI	003	उर्दू वैकल्पिक	कोई एक
6.	XI	303	उर्दू कोर	
7.	XI	022	संस्कृत वैकल्पिक	कोई एक
8.	XI	322	संस्कृत कोर	
9.	XI	104	पंजाबी	
10.	XI	105	बंगाली	
11.	XI	106	106 तमिल	
12.	XI	107	तेलुगु	कोई एक
13.	XI	189	तेलुगु तेलंगाना	
14.	XI	108	सिंधी	
15.	XI	109	मराठी	
16.	XI	110	गुजराती	
17.	XI	111	मणिपुरी	
18.	XI	112	मलयालम	
19.	XI	113	ओडिया	
20.	XI	114	असमिया	
21.	XI	115	कन्नड़	
22.	XI	116	अरबी	
23.	XI	117	तिब्बती	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

24.	XI	118	फ्रेंच	
25.	XI	120	जर्मन	
26.	XI	121	रूसी	
27.	XI	123	फारसी	
28.	XI	124	नेपाली	
29.	XI	125	लिम्बू	
30.	XI	126	लेप्चा	
31.	XI	188	भोटी	
32.	XI	191	कोकबोरोक	
33.	XI	192	बोडो	
34.	XI	193	तंगखुल	
35.	XI	194	जापानी	
36.	XI	195	भूटिया	
37.	XI	196	स्पेनिश	
38.	XI	197	कश्मीरी	
39.	XI	198	मिज़ो	
शैक्षणिक वैकल्पिक (ग्रुप-ए)				
40.	XI	027	इतिहास	
41.	XI	28	राजनीति विज्ञान	
42.	XI	029	भूगोल	
43.	XI	030	अर्थशास्त्र	
44.	XI	031	कर्नाटक संगीत (गायन)	कोई एक
45.	XI	032	कर्नाटक संगीत (सुर वाद्य)	
46.	XI	033	कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य - मृदंगम)	
47.	XI	034	हिंदुस्तानी संगीत (गायन)	
48.	XI	035	हिंदुस्तानी संगीत (सुर वाद्य)	
49.	XI	036	हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

50.	XI	037	मनोविज्ञान	
51.	XI	039	समाजशास्त्र	
52.	XI	041	गणित	कोई एक
53.	XI	241	अनुप्रयुक्त गणित	
54.	XI	042	भौतिक विज्ञान	
55.	XI	043	रसायन विज्ञान	
56.	XI	044	जीव विज्ञान	
57.	XI	045	जैव प्रौद्योगिकी	
58.	XI	046	इंजीनियरिंग ग्राफिक्स	
59.	XI	048	शारीरिक शिक्षा	
60.	XI	049	पेंटिंग	कोई एक
61.	XI	050	ग्राफिक्स	
62.	XI	051	मूर्तिकला	
63.	XI	052	एप/व्यावसायिक कला	
64.	XI	054	व्यावसायिक अध्ययन	ग्रुप-एस के 833 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
65.	XI	055	लेखाशास्त्र	
66.	XI	056	कथक- नृत्य	कथक- नृत्य
67.	XI	057	भरतनाट्यम - नृत्य	
68.	XI	058	कुचिपुडी - नृत्य	
69.	XI	059	ओडिसी - नृत्य	
70.	XI	060	मणिपुरी - नृत्य	
71.	XI	061	कथकली- नृत्य	
72.	XI	064	गृह विज्ञान	
73.	XI	065	इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस	कोई भी और ग्रुप-एस के 802 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
74.	XI	083	कंप्यूटर विज्ञान	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

75.	XI	066	उद्यमिता	
76.	XI	073	भारत की ज्ञान परंपरा और प्रथाएं	
77.	XI	074	विधिक अध्ययन	
78.	XI	076	राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)	
कौशल वैकल्पिक विषय (समूह-एस)				
79.	XI	801	रिटेल	
80.	XI	802	सूचना प्रौद्योगिकी	ग्रुप-ए के 065/ 083 के साथ नहीं लिया जा सकता
81.	XI	803	वेब एप्लीकेशन	
82.	XI	804	ऑटोमोटिव	
83.	XI	805	वित्तीय बाज़ार प्रबंधन	
84.	XI	806	पर्यटन	
85.	XI	807	सौंदर्य और स्वास्थ्य	
86.	XI	808	कृषि	
87.	XI	809	खाद्य उत्पादन	
88.	XI	810	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	
89.	XI	811	बैंकिंग	
90.	XI	812	विपणन	
91.	XI	813	स्वास्थ्य देखभाल	
92.	XI	814	बीमा	
93.	XI	816	बागवानी	
94.	XI	817	टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन	
95.	XI	818	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी	
96.	XI	819	विद्युत प्रौद्योगिकी	
97.	XI	820	एलेक्ट्रॉनिक टेक्नालजी	
98.	XI	821	मल्टीमीडिया	
99.	XI	822	कराधान	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

100.	XI	823	लागत लेखांकन	
101.	XI	824	कार्यालय प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली	
102.	XI	825	आशुलिपि (अंग्रेजी)	
103.	XI	826	आशुलिपि (हिंदी)	
104.	XI	827	एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन	
105.	XI	828	चिकित्सा निदान	
106.	XI	829	टेक्सटाइल डिज़ाइन	
107.	XI	830	डिज़ाइन	
108.	XI	831	विक्रय कला	
109.	XI	833	व्यवसाय प्रशासन	ग्रुप-ए के 054 के साथ नहीं लिया जा सकता
110.	XI	834	खाद्य पोषण और आहार विज्ञान	
111.	XI	835	मास मीडिया अध्ययन	
112.	XI	836	पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	
113.	XI	837	फैशन स्टडीज़	
114.	XI	841	योग	
115.	XI	842	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा	
116.	XI	843	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	
117.	XI	844	डेटा विज्ञान	
118.	XI	845	शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक	
119.	XI	846	लैंड ट्रांसपोर्ट एसोशिएट	
120.	XI	847	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	
121.	XI	848	डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन	
विषयों के बारे में विवरण इस वेबलिनक पर उपलब्ध है: https://cbseacademic.nic.in/curriculum 2026.html				



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-आई	
कक्षा XI के लिए विषय संयोजन के उदाहरण	
मान्य विषय संयोजन	
केस 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 048 शारीरिक शिक्षा	केस 5 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 041 गणित
केस 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 048 शारीरिक शिक्षा विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 044 जीव विज्ञान	केस 6 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 लेखांकन विषय 3: 054 व्यवसाय अध्ययन विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 302 हिंदी कोर
केस 3 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	केस 7 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 लेखांकन विषय 3: 054 व्यवसाय अध्ययन विषय 4: 041 गणित विषय 5: 030 अर्थशास्त्र
केस 4 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 083 कंप्यूटर साइंस	केस 8 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 लेखांकन विषय 3: 054 व्यवसाय अध्ययन विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 065 इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिस
अमान्य विषय संयोजन	
केस 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 042 भौतिकी विषय 3: 043 रसायन विज्ञान विषय 4: 065 इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिस विषय 5: 083 कंप्यूटर साइंस	केस 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 049 पेंटिंग विषय 5: 050 ग्राफिक्स
केस 3 विषय 1: 322 संस्कृत विषय 2: 104 हिंदी कोर	केस 4 विषय 1: 104 हिंदी कोर विषय 2: 002 हिंदी वैकल्पिक





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	विषय 3: 041 गणित विषय 4: 042 भौतिकी विषय 5: 043 रसायन विज्ञान
केस 5 विषय 1: 104 हिंदी कोर विषय 2: 812 विपणन विषय 3: 816 बागवानी विषय 4: 830 डिजाइन विषय 5: 837 फैशन स्टडीज	अमान्य

* सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों को रियायतों के लिए, कृपया रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देखें

अनुलग्नक-आई
विषय: सत्र 2025-2026 के लिए पंजीकरण से जुड़ी APAAR ID प्रस्तुत करना

APAAR, जिसका पूरा नाम 'Automated Permanent Academic Account Registry' है, भारत के सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए 'एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान/आईडी' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों को APAAR ID बनाने के लिए पर्याप्त समय मिले, सीबीएसई ने निम्नलिखित परिपत्र जारी किए हैं: -

1. परिपत्र संख्या CBSE/IT & Projects/APAAR ID/2025 दिनांक 24.01.2025। लिंक: https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Circular_Implementation_APAAR_ID_24012025.pdf
2. शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा X और XII के उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करने के संबंध में दिनांक 30.07.2025 और 27.08.2025 के परिपत्र।

बोर्ड पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता सुनिश्चित करने में APAAR ID के महत्व को दोहराता है।

आप अवगत हैं कि APAAR ID निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:

- एकीकृत और आजीवन शैक्षणिक पहचान
- शैक्षणिक स्तरों के बीच निर्बाध बदलाव
- संस्थानों के बीच क्रेडिट हस्तांतरण
- प्रवेश और रोजगार के लिए सरलीकृत सत्यापन
- लक्षित विकास के लिए कौशल अंतर विश्लेषण



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि उनके विद्यार्थियों के लिए APAAR ID जनरेट करने में निम्नलिखित तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं:

- विभिन्न पोर्टलों के बीच एकीकरण में कठिनाई।
- स्कूल और आधार (Aadhaar) रिकॉर्ड में एक ही छात्र का अलग-अलग डेटा होना।
- सुधार/अद्यतन प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय, आदि।
- अभिभावकों की सहमति का अभाव।

चूंकि APAAR ID भविष्य में छात्रों के लिए सहायक सिद्ध होगी, इसलिए यह अपेक्षित है कि जब इस वर्ष के कक्षा IX और XI के छात्र 2026-2027 में अपना एलओसी भरेंगे, तो सभी छात्रों के पास उनकी APAAR ID होनी चाहिए; इसके लिए स्कूलों को निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है: -

वर्तमान वर्ष-2025-2026 के लिए

1. यदि माता-पिता की सहमति न होने के कारण APAAR ID जनरेट नहीं हो पाती है, तो स्कूलों को माता-पिता द्वारा सहमति न देने की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए और एलओसी में APAAR के सामने "REFUSED" लिखना चाहिए।
2. यदि अन्य कारणों से APAAR ID जनरेट नहीं हो पाती है, तो APAAR के सामने "NOGEN" लिखना चाहिए।
3. बाकी सभी मामलों में, APAAR ID लिखी जानी चाहिए।

अगले वर्ष—2026-2027—के लिए:

1. यदि आधार/UDISE/स्कूल आदि में छात्र/अभिभावक का डेटा सही नहीं है, तो उचित कार्रवाई करके उसे ठीक करवाया जाए, ताकि एलओसी प्रस्तुत करते समय छात्रों की APAAR ID उपलब्ध हो।

